

# Let's Understand the Draft Delhi Master Plan 2041

## ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान २०४१ को समझें

Social Infrastructure  
सामाजिक सेवाएं

# What provisions are there in the Plan? | प्लान में क्या प्रावधान है?

## Hierarchy of Social Infrastructure

The Plan has divided social infrastructure into four levels.

- Local level**- up to 10,000 population,
- Community-level**- up to 1 lakh population
- Sub-city level**- up to 5 lakh population
- City-level**- more than 5lakh population.

At every level, they have identified infrastructure suitable to the need of that level.

### It includes:

- Health
- Education
- Socio-cultural facilities,
- Safety and security infrastructure,
- Postal and Telecommunication facilities
- Distributive facilities and other functions
- Cremation-Burial- Cemetery facilities:
- Public Conveniences
- Other Community facilities

## सामाजिक बुनियादी ढांचे का पदानुक्रम

मास्टर प्लान ने सामाजिक सुविधाओं को चार स्तरों में विभाजित किया है

- -स्थानीय स्तर- 10,000 जनसंख्या तक,
- -समुदाय-स्तर- 1 लाख आबादी तक
- -उप-शहर स्तर- 5 लाख आबादी तक
- -नगर-स्तर- 5 लाख से अधिक आबादी।

हर स्तर पर, उन्होंने उस स्तर की आवश्यकता के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की पहचान की है।

## सामाजिक अवसंरचना सुविधाएं

- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- सामाजिक- सांस्कृतिक सुविधाएं,
- सुरक्षा और सुरक्षा अवसंरचना,
- डॉक और दूरसंचार सुविधाएं
- वितरण सुविधाएं और अन्य कार्य
- श्मशान-दफन- कब्रिस्तान सुविधाएं:
- सार्वजनिक सुविधाएं
- अन्य सामुदायिक सुविधाएं

## What provisions are there in the Plan? | प्लान में क्या प्रावधान है?

Strategies to improve availability of social infrastructure by providing flexibility for:

- Vertical mixing
- Multi-facility plots
- Allowing other uses in under-utilised PSP sites
- Reducing the building norms required and giving additional Amenities FAR

In regeneration of unauthorised colonies, the developer has to provide equal or more facilities.

For slum and JJ clusters, there are no clear norms to provide facilities.

No explicit provision for livelihood support as a key public function

मास्टर प्लान में सामाजिक सुविधाओं के सही उपयोग के लिए निम्न तरीको से सुधरे किया है |

-वर्टीकल मिक्सिंग

-बहु-सुविधा वाले प्लॉट,

-कम उपयोग वाली PSP साइटों में अन्य उपयोगों की अनुमति देना

-आवश्यक भवन मानदंडों को कम करना और अतिरिक्त सुविधाएं देना FAR |

अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्जनन में विकासकर्ता को समान या अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी है |

स्लम और जेजे समूहों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है।

एक प्रमुख सार्वजनिक समारोह के रूप में आजीविका सहायता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है

## What had the campaign asked for? | अभियान ने क्या मांगा था?

- To ensure parity of the Master Plan norms with existing laws and national policies which provides the guidelines on child care, health, education etc.
- To provide multi-purpose community centres over and above other facilities which integrates different important functions.
- Ensure quality childcare centers (Creche, Anganwadis etc.) near the home and workplace of informal workers.
- Alignment with existing spatial boundaries locally at the community level (lower than 10,000 population) and at the municipal ward level to ensure implementation
- Providing social infrastructure to informal sector workers/migrating population- norms that ensure proximity and accessibility
- शहर भर में अच्छे चाइल्डकैअर केंद्र (क्रेच, आंगनवाड़ी आदि) सुनिश्चित करें। शिशुगृह और शिशु देखभाल केंद्रों की अलग व्यवस्था की आवश्यकता है।
- विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को एकीकृत करने वाली अन्य सुविधाओं के अलावा बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र प्रदान करना।
- अनौपचारिक श्रमिकों के घर और कार्यस्थल के पास गुणवत्तापूर्ण चाइल्डकैअर केंद्र (क्रेच, आंगनवाड़ी आदि) सुनिश्चित करें।
- कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक स्तर (10,000 से कम आबादी) और नगरपालिका वार्ड स्तर पर मौजूदा स्थानिक सीमाओं के साथ संरेखण।
- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों/प्रवासी आबादी को सामाजिक आधारभूत संरचना प्रदान करना।

## What can we suggest? | हम क्या सुझाव दे सकते हैं ?

- Explicit inclusion of livelihood and economic uses as a public function under socio-cultural or community facilities
- There needs to be a smaller scale of community population- eg- 5000 / Socio-cultural facility Type 1 allocation should be increased to at least 2 per 10,000
- Community work centres and shared workspaces for home-based economic activities should be allowed in the multi-facility plots of social infrastructure
- Permissibility for street vending and informal market as a key part of distributive facilities at the local level
- सामाजिक-सांस्कृतिक या सामुदायिक सुविधाओं के तहत एक सार्वजनिक समारोह के रूप में आजीविका और आर्थिक उपयोगों को स्पष्ट रूप से शामिल करना
- सामुदायिक जनसंख्या का एक छोटा पैमाना होना चाहिए- जैसे- 5000 / सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा टाइप 1 आवंटन को कम से कम 2 प्रति 10,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए
- सामाजिक बुनियादी ढांचे के बहु-सुविधा वाले भूखंडों में घर-आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक कार्य केंद्रों और साझा कार्यक्षेत्रों की अनुमति दी जानी चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर वितरण सुविधाओं में पथ-विक्रेता और अनौपचारिक बाजारों के लिए अनुमति ।

## What can we suggest? | हम क्या सुझाव दे सकते हैं ?

### Child care:

Need to bring parity for childcare infrastructure with the existing laws and national guidelines like ICDS

Child friendly spaces like breast feeding zone in public spaces, and transport hubs, safe pedestrian infrastructure, public washrooms etc.

Open and closed playing areas in all neighbourhoods

Increase allocations in a decentralised way for wellness centres, schools for children with disabilities, de-addiction centre, rescue homes etc.

### Health:

Need to bring parity for health infrastructure with National Urban Health Mission norms.

Must facilitate implementation of the Delhi government's flagship Mohalla clinics programme and provide adequate space for such centres.

Recognition of special health needs of vulnerable groups.

- मौजूदा कानूनों और आईसीडीएस जैसे राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ चाइल्डकेअर के बुनियादी ढांचे के लिए समानता लाने की आवश्यकता है
- बच्चों के अनुकूल स्थान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान क्षेत्र, और परिवहन केंद्र, सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक शौचालय आदि।
- सभी मोहल्लों में खुले और बंद खेल के मैदान
- वेलनेस सेंटर, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल, नशामुक्ति केंद्र, बचाव गृह आदि के लिए विकेन्द्रीकृत तरीके से आवंटन बढ़ाए।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के मानदंडों के साथ स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए समानता लाने की आवश्यकता है।
- दिल्ली सरकार का प्रमुख मोहल्ला क्लीनिक कार्यक्रम और ऐसे केंद्रों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है।
- कमजोर समूहों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को मान्यता देना।



**Thankyou**  
धन्यवाद

